HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 286/2026
URN: CRLMA / 725U / 2026

Amit Agarwal S/o Late Shri Rajesh Agarwal,

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan & Another

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Vipin Sharma
For Respondent(s) : Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

21/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विविध याचिका संख्या 3627/2026 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2026 के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 08.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक प्रदर्शिनियों में भाग लेने हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई थी और उक्त अवधि के पश्चात भारत में पुनः नहीं लौटने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय को उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन FICCI से मेल प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ग्रीस व यूनाईटेड किंगडम ने प्रदर्शिनियों की अवधि 23.06.2026 से परिवर्तित करके 30.07.2026 कर दी गई है। ऐसी स्थिति में 30.07.2026 तक उक्त प्रदर्शिनियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जावे, उसके पश्चात वह 04.08.2026 तक वह वापिस भारत आ जाएगा अतः तद्नुरूप उक्त आदेश में परिवर्तन किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने न्यायसंगत उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रदर्श ए–5 दिनांक 17.06.2026 के ई–मेल का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रदर्शिनियों की अवधि 30.07.2026 को रखी गई है। ऐसी स्थिति में विविध याचिका संख्या 3627/2026 में पारित आदेश दिनांक

08.06.2026 में अंकित अवधि दिनांक 08.06.2026 से 30.06.2026 तक की बजाय दिनांक 08.06.2026 से दिनांक 04.08.2026 तक प्रदर्शिनियों में भाग लेने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, यदि प्रार्थी/अभियुक्त 04.08.2026 के पश्चात भारत में पुनः नहीं लौटता है तो विद्वान विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगा।

तद्नुरूप उक्त प्रार्थना पत्र 286/2026 निस्तारित किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /27